कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

मिसल संख्या – 211 / 2021

निर्णय दिनांक :– 28/2/22

उनवानी प्रार्थना पत्र –

1. अमरलाल पुत्र रतिराम जाति मीना निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. प्रभूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. मोतीलाल पुत्र रतिराम जाति मीना निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. हंसराज पुत्र रतिराम जाति मीना निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष

<u>प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

<u>आदेष</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 65 खसरा नम्बर 143 रकबा 0.96 है0 वाके ग्राम सेन्दियावास तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है व पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नही है।

अतः जमाबंदी संवत् **2075–78** में अंकित आराजी खाता संख्या 65 खसरा नम्बर 143 रकबा 0.96 है0 वाके ग्राम सेन्दियावास की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमीश्नर बनाया जाता है और मौका कमीश्नर फीस 1000/– रू0 निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

देवली